

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ.3(2)(1)बजट/सान्याअधि/2014-15/ 5877  
परिपत्र

जयपुर, दिनांक : 22-07-14

स्वीकृति संख्या-02

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 000 दिनांक 28.03.14 के प्रग्न में विभाग से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं एवं संचालित इकाइयों से संबंधित व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए (माह अगस्त, 2014 से मार्च, 2015) तक व्यय हेतु संलग्न सारणी/विवरण अनुसार समस्त अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों/क्रियान्वयन अधिकारियों को एतद्वारा आवंटित बजट की सीमा तक अधिकृत किया जाता है। बजट आई.एफ.एम.एस पर आन लाइन कर दिया गया है। अग्रिम आदेश तक किसी भी परिस्थिति में आवंटित बजट से अधिक व्यय नहीं किया जावे।

शेष स्वीकृति एवं शर्तें यथावत रहेंगी

  
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : एफ.3(2)(1)बजट/सान्याअधि/2014-15/ 5878 -5960

जयपुर, दिनांक : 22-07-14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
2. परियोजना निदेशक (आईस)/पी.एफ.एण्ड.ए.एम
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, बांरा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झुंजरपुर, अलवर, वाडमेर, जालौर, जेसलमेर, सुन्दुबुन्, पाली, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, टोक, बून्दी, चूरु, दौसा, हनुमानगढ़, झालावाड़, करोली, नागौर, राजसमन्द, धौलपुर, प्रतापगढ़।
4. उप निदेशक, पिछड़ी जाति।
5. उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, बांरा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़,
6. सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बांसवाड़ा, झुंजरपुर, अलवर, वाडमेर, जालौर, जेसलमेर, सुन्दुबुन्, पाली, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, टोक।
7. जिला परिवीक्षा एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बून्दी, चूरु, दौसा, हनुमानगढ़, झालावाड़, करोली, नागौर, राजसमन्द, धौलपुर, प्रतापगढ़, ।
8. उप निदेशक, शिक्षा एवं छात्रावास।
9. अधीक्षक वृद्ध एवं अशक्त गृह, पुष्कर, अजमेर।
10. अधीक्षक, नारी निकेतन, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा।
11. लेखाकार (अंक मिलान/भुगतान)।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय।
13. एन्वालिस्ट कम प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख हैं कि संलग्न बजट आवंटन को विधार्थित समय पर ऑनलाईन कर मुख्य लेखाधिकारी को सूचित करें।
14. प्रशासन प्रभारी/गार्ड फ़ाइल।

  
वित्तीय सलाहकार

पृष्ठ संख्या - 33

पंजाब प्रदेश

2225 - राजपूताना एवं राजपूताना प्रान्तों के राज राज के राज

01 - राजपूताना प्रान्त के राज

001 - राजपूताना प्रान्त के राज

(00)

(00)

(समाप्त पृष्ठ संख्या)

(वर्ष 2014 से वर्ष 2015)

(एक करोड़ रु)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
संशोधन प्रकल्प	वर्ष	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
संशोधन प्रकल्प (वर्ष 2014)	540.00	0.00	2.00	2.00	3.00	32.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.50	8.00	518.50
कुल	540.00	0.00	2.00	2.00	3.00	32.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.50	8.00	518.50	

पंजाब प्रदेश



श्रीमद् संख्या - 51

श्रीमद् संकेत

2225 - अल्पसंख्यक वर्गों के अल्पसंख्यक समाजिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए

01 - अल्पसंख्यक वर्गों के विकास

799 - अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण संसाधन

(10) - वर्गों के विकास के लिए अल्पसंख्यक समाजिक विकास

[00] - वर्गों के विकास के लिए अल्पसंख्यक समाजिक विकास

(आवकियाँ वि-1 संख्या)

(आवकियाँ 2014 से पूर्व, 2015)

(श्रीमद् संख्या 4)

क्र.सं.	आवकियाँ एवं विवरण	वर्ष 01	वर्ष 02	वर्ष 03	वर्ष 04	वर्ष 05	वर्ष 07	वर्ष 08	वर्ष 09	वर्ष 20	वर्ष 37	वर्ष 38	वर्ष 39	वर्ष 41	वर्ष 46
1	श्रीमद् संकेत	01	2	03	04	05	07	08	09	20	37	38	39	41	46
1	श्रीमद् संकेत (वर्ष) 4719	2600	-	0.25	0.35	0.60	1.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.02	0.25	29.04
श्रीमद्		2600	0.00	0.25	0.35	0.60	1.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.02	0.25	29.04

श्रीमद् संकेत















गौण संख्या - 33

2225 - अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण

196 - जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता

(16) - महाविद्यालय स्तर के छात्रावास संचालन

[00] -

(आयोजना विन्म व्यय)

(अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015)

(रशि लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	01	02	03	04	05	07	08	09	11	12	13	14	15	16	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	31	38	39	41	61	
1	1 वय निर्देशन अर्थात् 10849	1.00	-	0.00	0.00	0.53	-	-	-	0.04	0.04	-	-	2.00	8.47	12.15
2	2 वय निर्देशन अर्थात् 12580	1.30	-	0.00	0.00	0.85	-	-	-	0.30	0.11	-	-	4.00	8.61	15.17
3	3 वय निर्देशन अर्थात् 12632	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.04	0.00	-	-	0.00	2.00	2.04
4	4 वय निर्देशन अर्थात् 10856	1.50	-	0.00	0.00	1.60	-	-	-	0.14	0.16	-	-	2.50	11.00	17.00
5	5 वय निर्देशन अर्थात् 7171	0.00	-	0.00	0.00	1.60	-	-	-	0.10	0.08	-	-	2.00	8.56	12.21
	योग	3.90	0.00	0.00	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.62	0.39	0.00	0.00	10.50	38.54	58.60

वित्तीय सलाहकार

शीर्ष संख्या - 33  
 2225 - अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण  
 02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण  
 196 - जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता  
 (06) - महाविद्यालय स्तर के छात्रवृत्त संचालन  
 [00] -

क्र.सं.	आवृत्त एवं वितरण अधिकारी	(अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015)													(वर्षा संकलन)		
		वर्षा	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	जनवरी	फरवरी	मार्च	कुल	शेष
1	लघु शीर्षक	01	02	03	04	05	07	08	09	10	28	31	38	39	41	61	18
1	1 वर निदेशक वार्षिक 10856	1.00	0.00	0.00	0.00	1.50	-	-	-	-	0.10	0.10	-	-	1.00	11.00	24.70
2	2 वर निदेशक कोटा 10805	2.00	0.00	0.02	0.02	0.30	-	-	-	-	0.40	-0.08	-	-	1.10	9.00	27.50
3	3 वर निदेशक वार्षिक 12097	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	-	-	-	-	0.30	0.00	-	-	2.00	7.47	10.77
शीर्ष		3.50	0.00	0.02	0.02	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.02	0.00	0.00	4.10	27.47	38.23

वित्तीय सहायक

श्री ग संख्या - 22  
 2235 - सामाजिक सुरक्षा कानून  
 02 - पुराना कानून  
 196 - बिना मरिज/बिना रकबा फंडावा का कानून  
 (15) - बिना कानून  
 [01] - एक वर रिजर्व का कानून

(कानून विना कानून)

श्री ग संख्या	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
श्री ग संख्या	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	10.20
श्री ग संख्या	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	10.20

श्री ग संख्या - 23  
 2235 - सामाजिक सुरक्षा कानून  
 02 - पुराना कानून  
 196 - बिना मरिज/बिना रकबा फंडावा का कानून  
 (17) - बिना कानून  
 [01] - एक वर रिजर्व का कानून

(कानून विना कानून)

श्री ग संख्या	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
श्री ग संख्या	35.00	0.00	0.25	0.22	0.22	0.22	35.00	0.00	0.22	0.06	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	8.00	71.50
श्री ग संख्या	10.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	7.00	0.00	0.22	0.06	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	22.75
श्री ग संख्या	1.50	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	5.00	0.00	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	14.69
श्री ग संख्या	1.50	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	7.00	0.00	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	17.49
श्री ग संख्या	10.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	13.00	0.00	0.25	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	28.34
श्री ग संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	6.15
श्री ग संख्या	60.00	0.00	0.23	0.30	0.30	0.30	48.00	0.00	0.00	1.02	0.33	0.18	0.00	0.00	0.00	35.00	8.00	161.16

श्री ग संख्या

**आयोजना मिन मद**  
(अगस्त, 2014 से मार्च, 2015)

**स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान हेतु बजट आवंटन**

(राशि लाखों में)

क्र.स.	आहरण एवं वितरण अधिकारी	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 0 समाज कल्याण 196 - जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता 18 वृद्ध कल्याण [01] डे-केयरसेन्टरस्वैच्छिक संगठनों हेतुसहायता 12सहायतार्थ अनुदान, (आयोजना मिन)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 समाज कल्याण196 - जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता 18 वृद्ध कल्याण [02]] डे-केयर सेन्टर-स्वैच्छिक संगठनों हेतु सहायता 12 सहायतार्थअनुदान, (आयोजना मिन)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथाकल्याण 02 समाजकल्याण 196-जिलापरिषदों/जिलास्तरीयपंचायतोंकोसहायता15निःशक्तकल्याण [01]वृद्धएवंनिर्बलों के कल्याण हेतु स्वैच्छिकसंगठना हेतु सहायता 12सहायतार्थ अनुदान, (आयोजना मिन)
1	2	3	4	5
1	उप निदेशक, जयपुर 10856	11.50	-	-
2	उप निदेशक, जोधपुर	1.55	-	-
3	उप निदेशक, उदयपुर 12097	5.16	0.91	-
4	उप निदेशक, अजमेर 10849	0.00	-	-
5	उप निदेशक, कोटा 10685	0.00	-	3.17
6	उप निदेशक, बीकानेर	5.60	-	-
7	उप निदेशक, बांस 5037	4.20	-	-
8	उप निदेशक, भरतपुर 12632	3.00	-	-
9	उप निदेशक, गौलवाड़ा 23948	0.00	-	-
10	उप निदेशक, चित्तौड़गढ़ 23949	0.00	-	-
11	सहायक निदेशक, अलवर	0.00	-	-
12	सहायक निदेशक, बाड़मेर	0.00	-	-
13	सहायक निदेशक, जालौर	0.00	-	-
14	सहायक निदेशक, बांसवाड़ा 23944	0.00	-	-
15	सहायक निदेशक, झुंझरपुर 23951	0.00	-	-
16	सहायक निदेशक, झुंझर 2278	0.00	-	-
17	सहायक निदेशक, सीकर 11513	0.00	-	-
18	सहायक निदेशक, पाली 13260	0.00	-	-
19	सहायक निदेशक, सिरोही 12203	0.00	-	-
20	सहायक निदेशक, स0 माधोपुर 3325	0.00	-	-
21	सहायक निदेशक, टोंक 5930	0.00	-	-
22	सहायक निदेशक, जैसलमेर 2503	0.00	-	-
23	सहायक निदेशक, श्रीगंगानगर	0.00	-	-
24	जि.प. एवं स.क.अधि. बून्दी 23731	0.00	-	-
25	जि.प. एवं स.क.अधि. चुरु	0.00	-	-
26	जि.प. एवं स.क.अधि. दोसा 6478	0.43	-	-
27	जि.प. एवं स.क.अधि. नागौर 9986	0.00	-	-
28	जि.प. एवं स.क.अधि. राजसमन्द 8835	0.00	-	-
29	जि.प.एवं स.क.अ. हनुमानगढ़	0.00	-	-
30	जि.प.एवं स.क.अ. झालावाड़	0.00	-	-
31	जि.प.एवं स.क.अ. करौली	0.00	-	-
32	जि.प.एवं स.क.अ. धौलपुर	0.00	-	-
33	जि.प.एवं स.क.अ. प्रतापगढ़	0.00	-	-
34	मुख्य परिवीक्ष अधिकारी (मुख्यावास)	0.00	-	-
	<b>योग</b>	<b>31.44</b>	<b>0.91</b>	<b>3.17</b>

81  
वित्तीय सलाहकार

**आयोजना भिन्न मद**  
(अगस्त, 2014 से मार्च, 2015)  
**अनुदानित छात्रावासों को सहायताार्थ अनुदान**

(राशि लाखों में)

क्र.स.	आहरण एवं वितरण अधिकारी	2225-01-196- (04)-[02] अनुसूचित जाति के अनुदानित छात्रावासों को सहायता 12 सहायताार्थ अनुदान	2225-02-196- (05)-[00] अनुदानित छात्रावासों का संधारण 12 सहायताार्थ अनुदान	2225-02-196 (03) समाज कल्याण विभाग के माध्यम से (03) उपयोजना क्षेत्र के अनुदानित छात्रावासों को सहायता -[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां 12सहायताार्थ अनुदान	2225-03-196 -(01)-[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां 12 सहायताार्थ अनुदान/ अंशदान/सहाय
1	2	3	4	5	6
1	उप निदेशक, जयपुर 10856	-	-	-	-
2	उप निदेशक, जयपुर (ग्रामीण) 2513	10.38	-	-	-
3	उप निदेशक, जोधपुर 7171	1.65	4.31	-	-
4	उप निदेशक, उदयपुर 12097	21.60	27.59	30.75	-
5	उप निदेशक, अजमेर 10849	7.47	0.16	-	-
6	उप निदेशक, कोटा 10685	0.00	-	-	-
7	उप निदेशक, बीकानेर 12580	7.61	-	-	-
8	उप निदेशक, बांरा 5037	-	25.93	-	-
9	उप निदेशक, भरतपुर 12632	0.00	-	-	-
10	उप निदेशक, भीलवाड़ा 23948	0.00	6.00	-	-
11	उप निदेशक, चित्तौड़गढ़ 23949	4.16	0.16	-	-
12	सहायक निदेशक, बांसवाड़ा 23944	-	0.00	2.00	-
13	सहायक निदेशक, झुंजरपुर 23951	-	0.00	2.00	-
14	सहायक निदेशक, झुन्झनू 2278	0.00	-	-	-
15	सहायक निदेशक, सीकर 11513	0.00	-	-	-
16	सहायक निदेशक, पाली 13260	-	0.00	-	-
17	सहायक निदेशक, सिरोंही 12203	-	1.81	-	-
18	सहायक निदेशक, स0 माधोपुर 3325	-	5.97	-	7.60
19	सहायक निदेशक, टोंक 5930	8.47	12.47	-	-
20	सहायक निदेशक, जैसलमेर 2503	0.00	-	-	-
21	सहायक निदेशक, श्रीगंगानगर 6055	0.00	-	-	-
22	जि.प. एवं स.क.अधि. बून्दी 23731	4.16	0.16	-	-
23	जि.प. एवं स.क.अधि. चुरु 14964	0.00	-	-	-
24	जि.प. एवं स.क.अधि. दौसा 6478	12.28	21.27	-	-
25	जि.प. एवं स.क.अधि. नागौर 9986	0.00	-	-	-
26	जि.प. एवं स.क.अधि. राजसमन्द 883	-	-	-	-
27	जि.प.एवं स.क.अ. हनुमानगढ़ 17262	0.00	-	2.00	-
28	जि.प.एवं स.क.अ. प्रतापगढ़ 18517	0.00	2.17	2.00	-
	<b>योग</b>	<b>77.78</b>	<b>108.00</b>	<b>38.75</b>	<b>7.60</b>

नोट- उक्त बजट आवंटन में ग्रामीण क्षेत्र में संचालित अनुदानित छात्रावास सम्मिलित हैं।

81  
वित्तीय सलाहकार

विभिन्न क्रियान्वयन अधिकारियों को निम्नानुसार आयोजना भिन्न व्यय मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-2015 (अगस्त, 2014 से मार्च 2015) के लिए निम्नानुसार अनुदान बजट आवंटन किया जाता है। यह सुनिश्चित करें कि आगामी आदेश तक आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में आवंटन से अधिक व्यय नहीं करें।

(राशि लाखों में)

लेखा मद		वित्तीय वर्ष 2014-2015	राशि	क्रियान्वयन अधिकारी का नाम
2225	-	अनु. जातियों, जन.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
01	-	अनुसूचित जातियों का कल्याण		
001	-	निदेशन एवं प्रशासन		
(00)	-	-		
[00]	-	-		
11	-	विज्ञापन विक्रय एवं प्रचार	0.30	अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.)
2225	-	अनु. जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
01	-	अनुसूचित जातियों का कल्याण		
196	-	जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों का सहायता		
(02)	-	छात्रावासों का संधारण		
[02]	-	कार्यक्रम एवं गतिविधियां		
08	-	वृत्तिका एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए सहायक (विशेष कोचिंग)	30.00	अति निदेशक (छात्रावास)
28	-	अन्य व्यय	30.00	"
31	-	बुक एवं फीस	0.90	"
2225	-	अनु. जातियों, जन.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
01	-	अनुसूचित जातियों का कल्याण		
196	-	जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों का सहायता		
(03)	-	अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों को छात्रवृत्ति कम छात्रावास		
[02]	-	कार्यक्रम एवं गतिविधियां		
08	-	वृत्तिका एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए सहायक (विशिष्ट कोचिंग)	0.66	उप निदेशक (छात्रावास)
28	-	अन्य व्यय	14.00	उप निदेशक (छात्रावास)
31	-	बुक एवं फीस	0.36	उप निदेशक (छात्रावास)

81  
वित्तीय सलाहकार



2225	-	अनु. जातियों, जन.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
02	-	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण		
196	-	जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों का सहायता		
(01)	-	छात्रावासों का संधारण		
[02]	-	कार्यक्रम एवं गतिविधियां		
08	-	वृत्तिका एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए संदाय (विशिष्ट कोचिंग)	1.54	उप निदेशक (छात्रावास)
28	-	अन्य व्यय	14.00	उप निदेशक (छात्रावास)
31	-	पुस्तक एवं फीस	0.13	उप निदेशक (छात्रावास)
2225	-	अनु. जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
03	-	अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
196	-	जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों का सहायता		
(01)	-	छात्रावासों का संधारण		
[02]	-	कार्यक्रम एवं गतिविधियां		
08	-	वृत्तिका एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए संदाय (विशिष्ट कोचिंग)	0.30	उप निदेशक (छात्रावास)
28	-	अन्य व्यय	5.00	उप निदेशक (छात्रावास)
31	-	पुस्तक एवं फीस	0.10	उप निदेशक (छात्रावास)



वित्तीय सलाहकार

- 2225 . - अनु. जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण  
 01 . - अनुसूचित जातियों का कल्याण  
 196 . - जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों का सहायता  
 (07) - आवासीय विद्यालयों का संचालन  
 [00] -

परियोजना निदेशक (पी.एफ.  
 ए. एण्ड एम.)

01	संवेतन	614.00	03	यात्रा व्यय	1.78
04	चिकित्सा व्यय	1.70	05	कार्या.व्यय	1.47
28	विविध व्यय	17.00	36	वाहनो का किराया	1.90
58	कपड़े-बिस्तर	7.10	33	प्रयोगशाला व्यय	1.97
61	खाद्य सामग्री	500.00	31	पुस्तकालय व पत्र पत्रिकाएं	1.54
37	वर्दियां	0.24	57	विशेष. सेवाएं	0.84

- 2235 . - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
 02 . - समाज कल्याण  
 196 . - जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों का सहायता  
 (19) - अन्य कार्यक्रम  
 [02] - भिक्षावृत्ती में लिप्त परिवार के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालयों का संचालन

परियोजना निदेशक  
 (पी.एफ.ए. एण्ड एम.)

01	संवेतन	18.00	03	यात्रा व्यय	0.30
04	चिकित्सा व्यय	0.20	05	कार्या.व्यय	8.00
28	विविध व्यय	2.60			
41	संविदा सेवायें	0.00			
61	खाद्य सामग्री	16.00			



वित्तीय सलाहकार

- 2235 . - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
 02 . - समाज कल्याण  
 196 . - जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों का सहायता  
 (19) - अन्य कार्यक्रम  
 [03] - पशुपालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालयों का संचालन

परियोजना निदेशक  
 (पी.एफ.ए. एण्ड एम.)

01	संवैतन	22.00	03	यात्रा व्यय	0.10
04	चिकित्सा व्यय	0.10	05	कार्या.व्यय	8.00
28	विविध व्यय	2.60			
41	संविदा सेवायें	0.00			
61	खाद्य सामग्री	30.00			

- 2059 . लोक निर्माण कार्य  
 80 . सामान्य  
 053 . रख रखाव तथा मरम्मत  
 (22) समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  
 [00]-  
 21 . अनुरक्षण एवं मरम्मतें

100.00 अति. निदेशक छात्रावास

- 2235 . सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
 02 . समाज कल्याण  
 196 . जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों का सहायता  
 (17) महिला कल्याण  
 -  
 [03] महिलाओं व बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं उच्च शिक्षा हेतु सहायता  
 -  
 12 . सहायतार्थ अनुदान

3.50 मुख्य परिवीक्षा अधिकारी  
 312  
 वित्तीय सलाहकार

2235 . सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02 . समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय की पंचायतों को सहायता			
(03)- विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु सहायता			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
12 . सहायतार्थ अनुदान	32.00	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
02 . समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों /जिला स्तरीय की पंचायतों को सहायता			
(04)- उपयोजना क्षेत्र में विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु सहायता			
[02] कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
12 . सहायतार्थ अनुदान	0.60	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी	
2225 अनु. जाति, जनजाति एवं अ.पि.वर्गों का कल्याण			
03 . अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
190 . सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
(02) . राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम			
12 . सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	37.00	परियोजना निदेशक (एस.सी. पी.)	
92 सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	24.00		
2225 अनु. जाति, जनजाति एवं अ.पि.वर्गों का कल्याण			
80 . सामान्य			
190 . सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता			
(01) राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड हेतु सहायता			
12 . सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	5.50	उप निदेशक (पिछड़ी जाति)	
92 सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	6.00		
2225 . अनु.जाति, जनजाति एवं अ.पि.वर्गों का कल्याण			
02 . समाज कल्याण			
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय की पंचायतों को सहायता			
(02) - उपयोजना क्षेत्र के छात्रावासों का संधारण			
[02]- कार्यक्रम एवं गतिविधियां			
08 वृत्तिका एवं विशिष्ट सेवाओं के लिए संदाय (विशिष्ट कोचिंग)	0.80	अति. निदेशक (छात्रावास)	
28 - अन्य व्यय	7.00	अति. निदेशक (छात्रावास)	
31 - पुस्तक एवं फीस	0.01	अति. निदेशक (छात्रावास)	

811  
वित्तीय सलहकार

2225	अनु. जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
01	अनुसूचित जातियों का कल्याण		
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना		
(23)	अनुसूचित जाति कल्याण आयोग		
[00]	अनुसूचित जाति कल्याण आयोग		
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	7.00	उपनिदेशक पिछड़ी जाति
92	सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	24.00	
2225	अनु. जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
03	अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता		
(01)	राजस्थान राज्य पिछड़ा आयोग		
[00]	राजस्थान राज्य पिछड़ा आयोग		
12	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	22.40	उपनिदेशक पिछड़ी जाति
92	सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	49.16	
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
196	जिला परिषदों/जिला स्तरीय की पंचायतों को सहायता		
(01)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से		
[01]	वृद्धावस्था पेंशन		
24	पेंशन और उपदान	160000.00	प्रभारी पेंशन
[02]	अंगहीन और दृष्टिहीन निराश्रितों को पेंशन		
24	पेंशन और उपदान	13334.00	प्रभारी पेंशन
[03]	विधवा/परित्यक्ता पेंशन		
24	पेंशन और उपदान	26667.00	प्रभारी पेंशन
[04]	देवरथान विभाग के धमार्थ प्रयोजन के लिए जरूरत मंद व्यक्तियों को पेंशन		
24	पेंशन और उपदान	0.70	प्रभारी पेंशन

  
 वित्तीय सलाहकार